(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 04/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 251/20

थाना दुगली

अपराध कमांक 31/20

धारा 457, 380 भादसं

लक्ष्मीकांत ध्रुव पिता भानुराम ध्रुव,

उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी कठोलीपारा

भंडारवाडी थाना दुगली, जिला धमतरी,

छ0ग0.....**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,

आरक्षी केन्द्र दुगली,

जिला धमतरी छ0ग0.....**अनावेदक/अभियोजन**

———————————————————————————

04-11-2020

मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित थाने की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/ अभियुक्त की ओर से श्री मनोज कुमार ठाकुर अधिवक्ता वी.सी. के माध्यम से अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री गजानंद मीनपाल, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क वी.सी. के माध्यम से सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/ अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पिता भानुराम ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/ अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में मात्र संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 25.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसका जमानत आवेदन मजिस्ट्रेट के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वह गरीब परिवार का सदस्य है। उसका पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसके जेल में निरूद्ध रहने से कोरोना संक्रमण का खतरा है साथ ही उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

डायरी के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध घटना दिनांक समय को ग्राम कठोलीपारा भंडारवाही में प्रार्थी सोनसाय कमार के घर के दरवाजा को धकेल कर कमरे में प्रवेश कर संदूक का ताला तोड़कर नकदी रकम 1200रूपये चोरी करने का अभियोग है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। यद्यपि अपराध अजमानतीय तथापि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 25.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। वर्तमान में कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः डायरी के साथ संकलित साक्ष्य, वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट हो रहा है। अतएव आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि योग्य 25,000/—रूपये का एक सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे उक्त प्रकरण में रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–01. संबंधित न्यायालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित। **02.** संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित। **03.** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0